20.5.26

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण मय पक्षकारान उपस्थित।

उभय पक्षकारान मय अधिवक्तागण द्वारा न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रार्थना पत्र दिनांक 20.05.2026 प्रस्तुत कर प्रकट किया गया कि उनके मध्य विवादित भूमि को लेकर सामाजिक व पारिवारिक स्तर पर आपसी राजीनामा हो गया है। अतः लोक अदालत की भावना से वे इस राजीनामे के आधार पर ही प्रकरण का इसी स्तर पर निस्तारण करवाना चाहते हैं। प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया।

अधिवक्तागण उभय पक्षकारान ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि मूल विवादित ग्राम जसोल, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा में स्थित खसरा संख्या 513 (कुल रकबा 6.4588 हैक्टेयर) कृषि भूमि के संबंध में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

है, जो मूल रूप से अपीलांट के स्वर्गीय पिता श्री जेठाराम के स्वामित्व की थी। उक्त भूमि पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा रेस्पोंडेंट के पक्ष में वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण संख्या 4850 दिनांक 09.12.2025 स्वीकृत किया गया था, जिसे अपीलांट द्वारा इस अपील में चुनौती दी गई थी। उभय पक्षकारान ने न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया कि अब दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से तय किया है कि स्वर्गीय जेठाराम के हिस्से की उक्त कृषि भूमि को अपीलांट श्रीमती भंवरीदेवी एवं रेस्पोंडेंट श्री पवन कुमार वैष्णव आपस में बराबर–बराबर (1/2–1/2 हिस्सा) बांटेंगे। इस हेतु रेस्पोंडेंट पवन कुमार, राजीनामा प्रस्तुति से अथवा यदि कोई स्थगन आदेश प्रभावी है तो उसके अपास्त होने के 15 दिवस के भीतर आधी भूमि का बख्शीशनामा या बेचाननामा अपीलांट के पक्ष में निष्पादित करने हेतु पाबंद रहेगा। साथ ही, पुलिस थाना जसोल में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 27 दिनांक 23.02.2026 को भी राजीनामे के तहत खारिज कराया जावेगा। प्रार्थना पत्र में अंकित शर्ते के अनुसार उभयपक्षकरान सहमत है। अतः उभयपक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा होने से पत्रावली को वापस (Withdraw) लेकर इसी स्तर पर खारीज करने का आदेश फरमावे।

हमने पत्रावली में उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सूनी तथा उपलब्ध राजीनामा Withdraw प्रार्थना पत्र, पक्षकारों के कथनों एवं सुसंगत दस्तावेजों का गहन अवलोकन किया तथा पत्रावली पर मनन किया। उक्त विवादित खसरा संख्या 513 (कुल रकबा 6.4588 हैक्टेयर) भूमि ग्राम जसोल, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा में अवस्थित है। उभय पक्षकारान को राजीनामे की उक्त समस्त शर्तें न्यायालय द्वारा बोलकर व पढ़कर सुनाई व समझाई गईं, जिसे उन्होंने बिना किसी भय, प्रलोभन, दबाव या धोखे के, अपनी स्वतंत्र रजामंदी से सही व दुरुस्त स्वीकार किया। उभय पक्षकारान की पहचान उनके उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई। पक्षकारान की ताइद/पुष्टि हेतु उनके हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी इस आदेशिका पर करवाए गए। चूंकि पक्षकारान के मध्य पूर्ण राजीनामा हो चुका है और वे इस विवाद को हमेशा के लिए समाप्त करते हुए इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। इस प्रकार लोक अदालत की भावना एवं त्वरित न्याय के सिद्धांत के तहत पक्षकारों के मध्य हुए इस वैध समझौते को रिकॉर्ड पर लिया जाकर अपील का निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उभय पक्षकारान की ताइद हेतु उनके हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी इस आदेशिका पर करवाए गए हैं। अतः प्रस्तुत राजीनामा आज दिनांक को न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जाता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं विवेचन के परिणामस्वरूप, उभय पक्षकारान के मध्य निष्पादित एवं तस्दीकशुदा राजीनामा के आधार पर अपीलांट द्वारा अपील वापस (Withdraw) लिए जाने के फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर ब–शर्त राजीनामा खारिज की जाती है। प्रस्तुत मूल राजीनामा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल उपरांत नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
बालोतरा